न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 31/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जगाराम पुत्र श्री जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर । 02. श्रवणकुमार पुत्र श्री भगाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. मदनलाल पुत्र श्री संग्राम, जाति मेघवाल, निवासी बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर । 04. छगनी पुत्री हेमी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—

01. वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
02. प्रतिवादी संख्या दो व तीन उपस्थित ।
03. प्रतिवादी संख्या चार अनुपस्थिति होने से एकपक्षीय ।

आदेश

दिनांक :— 26/2/2021

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या दो से चार की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 930/836 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं । उक्त खसरा की कृषि भमि में वादी का हिस्सा रकबा 08 बीघा हैं तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा हैं तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या तीन का भी हिस्सा रकबा 01 बीघा व प्रतिवादी संख्या चार का हिस्सा रकबा 01—06 बीघा हैं । वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो से चार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त सम्पूर्ण रकबे की भूमि सहखातेदारी के रूप में ही दर्ज हैं अतः वादी द्वारा यह वाद वास्ते मौके पर काबिज अनुसार तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार बंटवाड़ा हेतु व राजस्व रक्शें में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या दो व तीन की और से अधिवक्ता पेश हुए एवं प्रतिवादी संख्या चार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए । प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन की और से जवाब प्रस्तुत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार बंटवाड़ा किये जाने बाबत् अपनी सहमती दी गयी तथा प्रतिवादी संख्या चार की तरफ से कोई जवाबदाता प्रस्तुत नहीं हुआ ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या चार का जवाबदाता बंद किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को कमिश्नर नियुक्त किया गया । जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ./2021/359 दिनांक 05.02.2021 को बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 01.02.2021 अनुसार ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 930/836 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहखातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :–

क्र.सं.	खातेदार	रकबा(बीघा)
01.	श्रवणकुमार पुत्र श्री भगाराम जाति मेघवाल, सा. सालावास	10 बीघा 06 बिस्वा
02.	जगाराम पुत्र श्री जेठाराम, जाति मेघवाल, सा. सालावास	08 बीघा 00 बिस्वा
03.	छगनी पुत्री हेमी, जाति मेघवाल, सा. देह	01 बीघा 06 बिस्वा
04.	मदनलाल पुत्र श्री सगराम जाति मेघवाल, सा. बासनी, 2 फेस जोधपुर ।	01 बीघा 00 बिस्वा

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 01.02.2021 अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 930/836 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 01.02.2021 में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं । मौका फर्द दिनांक 01.02.2021 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । तहसीलदार लूणी वादी एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज कर नक्शें में अलग अलग तरमीम दर्ज करें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

(गोपाल परिहार)
~~सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,~~ आर.ए.एस.
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(गोपाल परिहार)
~~सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,~~ आर.ए.एस.
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 31/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जगाराम पुत्र श्री जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर । 02. श्रवणकुमार पुत्र श्री भगाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. मदनलाल पुत्र श्री संग्राम, जाति मेघवाल, निवासी बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर । 04. छगनी पुत्री हेमी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

दावा अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 31/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम लूणी, तहसील लूणी के खसरा संख्या 930/836 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा का बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 01.02.2021 अनुसार वाद स्वीकार किया जाता हैं । बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज करें।

नीज..मुबलिक..............................बाबत...............................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 26/2/2021 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी